इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2014—पौष 27, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

क्र. ई-5-793-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. संजय गोयल, आयएएस., कलेक्टर, जिला अशोकनगर को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. संजय गोयल की अवकाश अवधि में श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अशोकनगर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला अशोकनगर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. संजय गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. संजय गोयल द्वारा कलेक्टर, जिला अशोकनगर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा कलेक्टर, जिला अशोकनगर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. संजय गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. संजय गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

क्र. ई-5-831-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री स्वाती मीणा, आयएएस., कलेक्टर, जिला सीधी को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) सुश्री स्वाती मीणा की अवकाश अवधि में श्री अनिल खरे, अपर कलेक्टर, सीधी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सीधी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री स्वाती मीणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सीधी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) सुश्री स्वाती मीणा द्वारा कलेक्टर, जिला सीधी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल खरे, कलेक्टर, जिला सीधी के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में सुश्री स्वाती मीणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री स्वाती मीणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-917-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सौरभ कुमार सुमन, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला-जबलपुर को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सौरभ कुमार सुमन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला-जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सौरभ कुमार सुमन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सौरभ कुमार सुमन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. ई-5-547-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस, विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश, नई दिल्ली को दिनांक 26 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक, 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्र. ई-5-726-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में आयुक्त, जनसंपर्क का प्रभार श्री मनोज श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग को तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का प्रभार श्री अनुराग श्रीवास्तव, भावसे आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज श्रीवास्तव, आयुक्त जनसंपर्क एवं श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. ई-5-743-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. बी. सिंह, आयएएस., कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2013 तक, छह: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 दिसम्बर 2013 एवं 29 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री एस. बी. सिंह की अवकाश अवधि में श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे कलेक्टर, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. बी. सिंह द्वारा कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निशांत वरवड़े कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-792-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल, आयएएस., कलेक्टर, जिला श्योपुर को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 15 जनवरी 2014 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल की अवकाश अवधि में श्री एच. पी. वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्योपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला श्योपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला श्योपुर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल द्वारा कलेक्टर, जिला श्योपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. पी. वर्मा कलेक्टर, जिला श्योपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-807-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. पी. राही, आयएएस., अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. राही को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. पी. राही को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री के. पी. राही अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-897-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जे. के. जैन, आयएएस., कलेक्टर, जिला रायसेन को दिनांक 26 दिसम्बर 2013 से 3 जनवरी 2014 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री जे. के. जैन की अवकाश अवधि में श्री राधेश्याम अगस्थी, अपर कलेक्टर, रायसेन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रायसेन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रायसेन के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जे. के. जैन द्वारा कलेक्टर, जिला रायसेन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम अगस्थी कलेक्टर, जिला रायसेन के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जे. के. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. के. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्र. ई-5-713-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरूण पाण्डेय, आयएएस., कमिश्नर उज्जैन संभाग को दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अरूण पाण्डेय की अवकाश अवधि में श्री बी. एम. शर्मा, भाप्रसे कलेक्टर, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, उज्जैन संभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण पाण्डेय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अरूण पाण्डेय द्वारा कमिश्नर, उज्जैन संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एम. शर्मा कमिश्नर, उज्जैन संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अरूण पाण्डेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-830-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संकेत भोंडवे शांताराम, भाप्रसे मिशन संचालक, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, भोपाल को दिनांक 28 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संकेत भोंडवे शांताराम, को मिशन संचालक, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संकेत भोंडवे शांताराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री संकेत भोंडवे शांताराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-884-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल बहुगुणा, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिंदवाड़ा को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2013 द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

(2) श्रीमती तन्वी सन्द्रियाल बहुगुणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री रत्नाकर झा, राप्रसे अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सौंपा गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अवकाश अवधि में प्रभार श्री रत्नाकर झा, राप्रसे से अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा के स्थान पर अब, श्री राजेन्द्र राय, संयुक्त कलेक्टर, छिंदवाड़ा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल बहुगुणा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिंदवाड़ा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेन्द्र राय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. ई-5-829-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नागरगोजे मदन विभीषण, आयएएस., कलेक्टर, जिला मुरैना को दिनांक 2 से 15 जनवरी 2014 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री नागरगोजे मदन विभीषण की अवकाश अवधि में श्री आशीष गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर (विकास) मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला मुरैना का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री नागरगोजे मदन विभीषण द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष गुप्ता कलेक्टर, जिला मुरैना के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-817-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राहुल जैन, आयएएस., कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 6 से 10 जनवरी 2014 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जनवरी 2014 एवं 11, 12 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होशंगाबाद को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. ई-5-632-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुपम राजन, आयएएस, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 24 से 28 दिसम्बर 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2014

क्र. ई-1-394-2013-5-एक.—श्री आई.सी.पी. केशरी, भाप्रसे (1988) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (आवासीय आयुक्त कार्यालय में संलग्न) तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश नई दिल्ली पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री आई. सी. पी. केशरी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश नई दिल्ली के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2014

क्र. ई-5-532-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा संसदीय कार्य जनशिकायत निवारण विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2013 द्वारा दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2013 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. उक्त अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 17 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगीं.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2014

क्र. ई-5-693-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरूण तिवारी, आयएएस, कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 एवं 31 दिसम्बर 2013 का स्थानीय अवकाश एवं दिनांक 29 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अरूण तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री अरूण तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-787-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएएस, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 2 जनवरी 2014 से 1 फरवरी 2014 तक इकतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राजकुमारी खन्ना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-929-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री प्रतिभा पाल, आयएएस, सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 3 जनवरी 2014 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा पाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री प्रतिभा पाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि सुश्री प्रतिभा पाल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ॲन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 11-29-2013-एक-9.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, प्रदेश में समस्त निगमों, मण्डलों, प्राधिकरणों, समितियों, परिषदों आदि में राज्य शासन द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्यों के किये गये मनोनयन (केवल इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं.

उक्त आदेश अनुसार प्रदेश के समस्त निगमों, मण्डलों, प्राधिकरणों, समितियों, परिषदों आदि संस्थाओं के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों/संचालकों/सदस्यों आदि का कार्यकाल इस आदेश के जारी होने की तिथि से स्वमेव समाप्त माना जावेगा. नवीन मनोनयन/नियुक्ति होने तक उक्त प्रभार के संबंध में यथा उचित नियम/अधिनियम/निर्देश अनुसार संबंधित प्रशासकीय विभाग समन्वय में आदेश प्राप्त करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2014

क्र. एफ. 11-29-2013-एक-9.—समसंख्यक पत्र दिनांक 23 दिसम्बर 2013 द्वारा निगम/मण्डलों/प्राधिकरणों/समितियों/परिषदों में किये गये मनोनयन/नियुक्तियां समाप्त कर दी गई हैं. पुनः मनोनयन/नियुक्ति होने तक इन निगम, मण्डल, प्राधिकरण, समिति एवं परिषद् के प्रशासकीय वित्तीय एवं सामान्य कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही कृपया सुनिश्चित करें :—

1. निगम-मण्डल के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के भारसाधक माननीय मंत्रीजी को सौंपा जाये.
2. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यभार यथास्थिति क्रमशः संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर को सौंपा जाये.
3. प्रशासकीय विभाग अन्तर्गत गठित समिति/परिषद के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को सौंपा जाये.

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2014

फा. क्र. 4-ए-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(1) एवं 3(5) के अन्तर्गत निम्न सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि अथवा आगामी आदेश होने तक (जो भी पहले हो) एतद्द्वारा कुटुम्ब न्यायालय में नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक सदस्य का नाम	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि
(1)	(2)	(3)
1.	कु. प्रतिभा रत्नपारखी	31-12-2014
2.	श्री श्याम कुमार मण्डलोई	11-3-2015
3.	श्री बलदेव सिंह परमार	30-8-2015
4.	श्री कैलाश चन्द्र गर्ग	24-10-2015
5.	श्री उल्लास बाबट	28-12-2015
6.	श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव	31-12-2015

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 (5) के अन्तर्गत होगा.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014

फा. क्र. 4-ए-2002-इक्कीस-ब(एक).**शुद्धिपत्र**—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जनवरी 2014 की तालिका में सरल क्र. 3 पर "श्री बलदेव सिंह परमार" के स्थान पर "श्री बलबीर सिंह परमार" एवं सरल क्र. 5 पर "श्री उल्लास बाबट" के स्थान पर "श्री उल्हास बापट" पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्र. एफ. 13-6-2010-बत्तीस-1.—सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-29-2013-एक-9, दिनांक 23 दिसम्बर 2013 द्वारा निगमों/मण्डलों/प्राधिकरणों/समितियों/परिषदों आदि में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्यों का किये गये नियुक्ति/मनोनयन को निरस्त किया गया है.

2. अतः सामान्य प्रशासन विभाग का उक्त आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2013 मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जारी किये गये आदेश के अनुरूप अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य के पद रिक्त मान्य किये जाते हैं.

3. मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री कैलाश विजयवर्गीय, मान. मंत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, आगामी आदेश तक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के पद पर नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश एस. थेटे, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश)—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-49-12-तीन-39.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई, 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, **बड़वानी, जिला बड़वानी** के आम निर्वाचन में **सुश्री राधा पटेल,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त, 2012 तक, **सुश्री राधा पटेल** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री राधा पटेल** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री राधा पटेल** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 29 अगस्त, 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में **सुश्री राधा पटेल** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **सुश्री राधा पटेल** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा **सुश्री राधा पटेल** को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च 2013 के संलग्न परिशिष्ट-36 की टिप्पणी में प्रतिवेदित किया कि—अभ्यर्थी **सुश्री राधा पटेल** को कारण बताओ सूचना पत्र तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा व्यय लेखा वर्तमान तक पेश नहीं किया गया और न ही कोई अभ्यावेदन पत्र दिया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **सुश्री राधा पटेल** को दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी **सुश्री राधा पटेल** सुनवाई में उपस्थित नहीं हुईं, जबकि अभ्यर्थी **सुश्री राधा पटेल** को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 20 अक्टूबर 2013 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **सुश्री राधा पटेल** द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री राधा पटेल** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद् बड़वानी, जिला बड़वानी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-06-13-तीन-51.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जनवरी, 2013 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, **राघौगढ़ विजयपुर, जिला गुना** के आम निर्वाचन में **श्री गोपाल,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जनवरी 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 9 एवं 10 फरवरी, 2013 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 11 फरवरी 2013 तक, **श्री गोपाल** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी गुना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गुना के पत्र दिनांक 15 फरवरी, 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री गोपाल** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **श्री गोपाल** को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 7 मार्च, 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में **श्री गोपाल** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री गोपाल** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 मार्च 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 31 मार्च 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी **श्री गोपाल** द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन)में अपना अभ्यावेदन आयोग को प्रस्तुत किया गया. आयोग के पत्र दिनांक 9 मई 2013 द्वारा अभ्यावेदन की स्वीकार्यता किये जाने के संबंध में कलेक्टर गुना से उनका अभिमत चाहा गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला गुना से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 16 सितम्बर 2013 में प्रतिवेदित किया कि अभ्यर्थी **श्री गोपाल** के अभ्यावेदन में अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ से वर्णित तथ्यों की सत्यता/विश्वसनीयता का परीक्षण कराया गया, जिसमें वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यर्थी ने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्री गोपाल** को दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी **श्री गोपाल** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2013 की तामीली अभ्यर्थी **श्री गोपाल** को विहित समयावधि में दिनांक 29 अक्टूबर 2013 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री गोपाल** द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने में कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री गोपाल** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद राघौगढ़ विजयपुर, जिला गुना** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन अयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-07-12-तीन-53.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है

कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई, 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, **जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा** के आम निर्वाचन में **श्री प्यारू भाई रियाज अली** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगरपालिका परिषद्, जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 अगस्त, 2012 तक, **श्री प्यारू भाई रियाज अली** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छिन्दवाड़ा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छिन्दवाड़ा के पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री प्यारू भाई रियाज अली** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री प्यारू भाई रियाज अली** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 नवम्बर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री प्यारू भाई रियाज अली को नोटिस दिनांक 5 जनवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 जनवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर छिंदवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 8 अगस्त 2013 में लेख किया कि ''कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् उक्त अभ्यर्थी द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है.''

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्री प्यारू भाई रियाज अली** को दिनांक 12 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए. जबकि **श्री प्यारू भाई रियाज अली** को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 5 सितम्बर 2013 की तामीली नियत समयावधि में दिनांक 22 सितम्बर 2013 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री प्यारू भाई रियाज अली** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद् जुन्नारदेव,** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-07-12-तीन-54.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई, 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, **जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा** के आम निर्वाचन में **श्री रामकुमार शर्मा,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगरपालिका परिषद्, जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 अगस्त, 2012 तक, **श्री रामकुमार शर्मा** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छिन्दवाड़ा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन

अधिकारी छिन्दवाड़ा के पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री रामकुमार शर्मा** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री रामकुमार शर्मा** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 नवम्बर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री रामकुमार शर्मा के नोटिस तामीली की प्रति पर अंकित है कि उनके घर बार-बार सम्पर्क करने पर मालूम हुआ कि **श्री रामकुमार शर्मा** बाहर गये हैं इसलिये दिनांक 18 जनवरी 2013 को **श्री रामकुमार शर्मा** के घर नोटिस चस्पा किया गया. अत: उनको दिनांक 2 फरवरी, 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर छिंदवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 8 अगस्त 2013 में लेख किया कि "कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है."

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्री रामकुमार शर्मा** को आयोग में दिनांक 12 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया. अभ्यर्थी उक्त दिनांक को आयोग में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. अभ्यर्थी द्वारा समक्ष में बताया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखों की छायाप्रतियां, जिला स्तर पर विलम्ब से प्रस्तुत की थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा विलम्ब से व्यय लेखे की छायाप्रतियां प्रस्तुत करने के संबंध में कोई ठोस प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री रामकुमार शर्मा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद् जुन्नारदेव,** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-11-07-तीन-56.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह नवम्बर, 2007 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, **कोलार, जिला भोपाल** के निर्वाचन में **श्रीमती रूपादास,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगरपालिका परिषद्, कोलार, जिला भोपाल** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 नवम्बर, 2007 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 दिसम्बर, 2007 तक, इन्हें निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पत्र क्र. 27/स्था.निर्वा./08, दिनांक 22 जनवरी, 2008 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती रूपादास** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती रूपादास** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 8 फरवरी 2008 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती रूपादास को सूचना पत्र की तामीली दिनांक 13 जुलाई, 2011 को उनके पति के माध्यम से कराई गई.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 3 मार्च, 2012 को अभ्यर्थी **श्रीमती रूपादास** को व्यक्तिगत सुवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 3 फरवरी 2012 की तामीली कलेक्टर भोपाल के माध्यम से दिनांक 29 फरवरी 2012 को कराई गई. अभ्यर्थी के पति श्री बी. एल. दास व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 3 मार्च, 2012 को उपस्थित हुए. उनके द्वारा अभ्यर्थी **श्रीमती रूपादास** का अभ्यावेदन एवं मूल निर्वाचन व्यय लेखा मय रसीद के सुनवाई दिनांक को प्रस्तुत किया गया. अभ्यर्थी ने अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा व्यय संबंधी ब्यौरों की छायाप्रतियां जमा की गईं थीं. अभ्यर्थी **श्रीमती रूपादास** ने पहली बार एक स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी, जिसके कारण खर्च जमा करने में चूक हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती रूपादास** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद् कोलार, जिला भोपाल** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-28-12-तीन-58.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई, 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, **सैलाना, जिला रतलाम** के आम निर्वाचन में **श्री कुलदीप सिंह "बाबला"** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 अगस्त, 2012 तक, **श्री कुलदीप सिंह "बाबला"** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रतलाम के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी रतलाम के पत्र दिनांक 3 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री कुलदीप सिंह "बाबला"** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री कुलदीप सिंह "बाबला"** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में **श्री कुलदीप सिंह "बाबला"** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री कुलदीप सिंह "बाबला"** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 15 नवम्बर को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 अक्टूबर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **श्री कुलदीप सिंह "बाबला"** को कारण बताओ सूचना पत्र तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला रतलाम से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 22 जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया कि कारण बताओ नोटिस तामीली के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक अभ्यर्थी **श्री कुलदीप सिंह "बाबला"** द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्री कुलदीप सिंह "बाबला"** को दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी **श्री कुलदीप सिंह "बाबला"** सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए. जबिक अभ्यर्थी **श्री कुलदीप सिंह "बाबला"** को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2013 की तामीली विहित समयावधि में कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री कुलदीप सिंह ''बाबला''** द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री कुलदीप सिंह ''बाबला''** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् सैलाना, जिला रतलाम** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्र. 121-453-अका-विपप्र-2013-**संशोधन**.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-सिविल, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-केवल अधिनियम), सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 2684-452-अका-विपप्र-2013, दिनांक 16 अप्रैल 2013 को जारी की गई थी, में भोपाल संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री सातन राव देशमुख, राजस्व निरीक्षक अंकित है, के स्थान पर अब श्री सातन राव देशमुख, नायब तहसीलदार पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. 1-2013-MNV/R-कोला.नियं.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी-अनुभाग) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 44-10-2013-दो-सी-1, भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2013 द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा आवेदन क्रमांक 8-13 में पारित निर्णय दिनांक 8 अक्टूबर 2013 के तारतम्य में जिले के अन्तर्गत शांत क्षेत्र (Silence Zone) अधिसूचित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं. अत:, मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं मदन कुमार, जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना, मुरैना जिले के निम्नानुसार क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबन्धित क्षेत्र (Silence Zone) घोषित करता हूं तथा आदेशित करता हूं कि निम्न शांत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगण किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल, लाउड स्पीकर, साउण्ड बाक्स आदि शामिल हैं का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगण ऐसा करते पाया जाता है तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15(1)(2) एवं 16 के अंतर्गत दण्डनीय होगा.

क्र.	स्थान का नाम	घोषित क्षेत्र की सीमा	कोलाहल प्रतिबंधित अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कमिश्नर, कार्यालय	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रात: 10.00 बजे से शाम 6.50 बजे तक
2	जिला एवं सत्र न्यायालय, मुरैना	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रात: 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
3	कलेक्टर कार्यालय, मुरैना	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रात: 10.00 बजे से शाम 6.50 बजे तक
4	जिला चिकित्सालय, मुरैना	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे
5	शिक्षा नगर, रोड मुरैना	सम्पूर्ण क्षेत्र	प्रात: 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
6	शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरैना	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रात: 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
7	शासकीय चिकित्सालय, पोरसा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे
8	कार्यालय तहसीलदार, पोरसा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रात: 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
9	शास. कन्या उ. मा. वि./बा. मा. वि., पोरसा.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रात: 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
10	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बाह.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रात: 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
11	शास. उ. मा. वि., बानमोर	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रात: 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)	(4)
12	न्यायालय परिसर एम. एस. रोड, जौरा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
13	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
14	कार्यालय तहसीलदार, जौरा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
15	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जौरा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे
16	शासकीय महाविद्यालय, जौरा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
17	शास. बा. उ. मा. वि., जौरा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
18	कार्यालय तहसीलदार, कैलारस	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
19	शास. बालक उ. मा. वि., कैलारस	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
20	सामुदायिक स्वा. केन्द्र, झुण्डपुरा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे
21	शास. मा. एवं हाईस्कूल वार्ड क्र. 8, झुण्डपुरा.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
22	न्यायालय क्षेत्र, सबलगढ़	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
23	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)सबलगढ़.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
24	शास. नेहरू महाविद्यालय, सबलगढ़	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
25	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सबलगढ़	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा.

मदन कुमार, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. 304–स्था.निर्वा.–मण्डी निर्वा–2014.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर सीहोर, मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम 2010 के अंतर्गत सीहोर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :—

क्र.	मण्डी समिति का नाम	नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता	सांसद/विधायक जिनके प्रतिनिधि नियुक्त किये गये हैं
(1)	(2)	(3)	(4)
1	04–आष्टा	श्री बापूलाल मालवीय, निवासी ग्राम अरोलिया, तह. आष्टा, जिला सीहोर.	सांसद प्रतिनिधि
2	06–इछावर	श्री राधेश्याम कबाड़ी, नि. इछावर, तह. इछावर, जिला–सीहोर.	सांसद प्रतिनिधि
3	07–श्यामपुर	श्री रामनिवास पचौरी, नि. ग्राम बाजार गांव पो. बरखेड़ा हसन, तह. श्यामपुर, जिला–सीहोर.	सांसद प्रतिनिधि
4	09–बकतरा	श्री रघुवीर सिंह चौहान, नि. ग्राम मछबाई, तह. बुधनी, जिला सीहोर.	विधायक प्रतिनिधि

कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 15-अ-82-वर्ष 2012-13 पत्र-क्र. 590-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गोटेगांव
(ग) ग्राम—बांसखेड़ा नं.बं. 74,
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.194 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
201/1, 201/2	0.105
205/1	0.034
200/1	0.055
योग . .	0.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बांसखेड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्ट्रेट, नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 069-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम—कोहनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.075 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
61	0.254	निजी भूमि
74/2	0.012	निजी भूमि
75/2	0.015	निजी भूमि
74/1	0.012	निजी भूमि
75/1	0.016	निजी भूमि
80	0.025	निजी भूमि
73/1	0.350	निजी भूमि
81	0.276	निजी भूमि
83/1	0.040	निजी भूमि
82/1	0.070	निजी भूमि
280	0.378	निजी भूमि
286	0.061	निजी भूमि
283	0.196	निजी भूमि
288/1	0.031	निजी भूमि
310	0.029	निजी भूमि
288/2ख	0.161	निजी भूमि
288/2क	0.002	निजी भूमि
309	0.147	निजी भूमि
योग . .	2.075	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—डोभा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 083-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पन्ना
(ग) ग्राम—इटवांकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.443 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1508	0.251	निजी भूमि
1509	0.304	निजी भूमि
1510/2	1.000	निजी भूमि
1506	0.320	निजी भूमि
1510/1	0.133	निजी भूमि
1531/1	0.030	निजी भूमि
1530	0.035	निजी भूमि
1505	0.093	निजी भूमि
1504	0.101	निजी भूमि
1511	0.110	निजी भूमि
1512	0.010	निजी भूमि
1513	0.030	निजी भूमि
1517	0.120	निजी भूमि
1503	0.129	निजी भूमि
1518/1	0.100	निजी भूमि
1502	0.400	निजी भूमि
1501	0.263	निजी भूमि
1496	0.010	निजी भूमि
1497	0.142	निजी भूमि
1498	0.093	निजी भूमि
1499/2	0.109	निजी भूमि
1471	0.105	निजी भूमि
1472	0.024	निजी भूमि
1473/1	0.058	निजी भूमि
1473/2	0.058	निजी भूमि
1473/3	0.058	निजी भूमि
1500	0.194	निजी भूमि
1499/3	0.043	निजी भूमि
1499/1	0.083	निजी भूमि
1480	0.154	निजी भूमि
1481	0.057	निजी भूमि
1482	0.575	निजी भूमि
1483	0.069	निजी भूमि
1488/1	0.010	निजी भूमि
1454/1	0.013	निजी भूमि
1457	0.061	निजी भूमि
1451	0.040	निजी भूमि
1452	0.040	निजी भूमि
1453	0.024	निजी भूमि
1454/2	0.011	निजी भूमि
1455	0.045	निजी भूमि
1456/1	0.050	निजी भूमि
1458/1	0.016	निजी भूमि
1462/1	0.020	निजी भूमि
1463/1	0.020	निजी भूमि
1464/1	0.015	निजी भूमि
1465/1	0.015	निजी भूमि
1466/1	0.055	निजी भूमि
1467/1	0.036	निजी भूमि
1468/1	0.029	निजी भूमि
1475/1	0.040	निजी भूमि
1456/2	0.051	निजी भूमि
1458/2	0.016	निजी भूमि
1462/2	0.020	निजी भूमि
1463/2	0.020	निजी भूमि
1464/2	0.015	निजी भूमि
1465/2	0.015	निजी भूमि
1466/2	0.054	निजी भूमि
1467/2	0.037	निजी भूमि
1468/2	0.028	निजी भूमि
1475/2	0.041	निजी भूमि
1459	0.089	निजी भूमि
1460	0.049	निजी भूमि
1469	0.081	निजी भूमि
1474	0.170	निजी भूमि
1470	0.121	निजी भूमि
1476	0.113	निजी भूमि
1479	0.105	निजी भूमि
1477	0.109	निजी भूमि
1478	0.328	निजी भूमि
1448	0.040	निजी भूमि
1461	0.060	निजी भूमि
1450/1	0.080	निजी भूमि
योग . .	7.443	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—डोभा तालाब योजना के अन्तर्गत बेस्ट वियर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 095-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—धवारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—55.68 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
228	0.19	निजी भूमि
229	0.55	निजी भूमि
231	0.24	निजी भूमि
354	0.26	निजी भूमि
355	0.08	निजी भूमि
505	0.14	निजी भूमि
506	0.06	निजी भूमि
507	0.10	निजी भूमि
647	0.15	निजी भूमि
648	0.10	निजी भूमि
649	0.18	निजी भूमि
651	0.30	निजी भूमि
652	0.29	निजी भूमि
653	0.30	निजी भूमि
654	0.11	निजी भूमि
655	0.23	निजी भूमि
755	0.30	निजी भूमि
756	0.15	निजी भूमि
757	0.06	निजी भूमि
232	0.12	निजी भूमि
233	0.05	निजी भूमि
234	0.27	निजी भूमि
235	0.26	निजी भूमि
279	0.35	निजी भूमि
353	0.11	निजी भूमि
468	0.04	निजी भूमि
474	0.53	निजी भूमि
476	0.40	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)
642	0.06	निजी भूमि
282	0.01	निजी भूमि
285	0.30	निजी भूमि
289	0.14	निजी भूमि
293/1	0.14	निजी भूमि
300/1	0.02	निजी भूमि
293/2	0.07	निजी भूमि
294/1	0.04	निजी भूमि
295/1	0.05	निजी भूमि
300/2	0.30	निजी भूमि
294/2	0.20	निजी भूमि
295/2	0.14	निजी भूमि
529/2	1.48	निजी भूमि
558	0.06	निजी भूमि
296	0.30	निजी भूमि
297	0.41	निजी भूमि
298	0.19	निजी भूमि
299	0.18	निजी भूमि
301	0.15	निजी भूमि
303	0.32	निजी भूमि
304	0.23	निजी भूमि
306	0.23	निजी भूमि
307	0.21	निजी भूमि
408	0.21	निजी भूमि
410	0.18	निजी भूमि
411	0.06	निजी भूमि
413	0.30	निजी भूमि
414	0.22	निजी भूमि
523	0.14	निजी भूमि
531	0.27	निजी भूमि
532	0.20	निजी भूमि
541	0.09	निजी भूमि
543	0.13	निजी भूमि
679	1.06	निजी भूमि
308	0.35	निजी भूमि
309	0.30	निजी भूमि
310	0.47	निजी भूमि
680	1.17	निजी भूमि
311	1.27	निजी भूमि
312	0.59	निजी भूमि
314	0.24	निजी भूमि
315	0.11	निजी भूमि
316	0.01	निजी भूमि
321	0.05	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
322	0.07	निजी भूमि	459	0.23	निजी भूमि
334	0.32	निजी भूमि	461	0.36	निजी भूमि
337	0.32	निजी भूमि	487	0.38	निजी भूमि
339	0.42	निजी भूमि	488	0.11	निजी भूमि
340	0.34	निजी भूमि	460	0.10	निजी भूमि
341	0.03	निजी भूमि	485	0.05	निजी भूमि
342	0.14	निजी भूमि	486	0.21	निजी भूमि
473	0.26	निजी भूमि	495	0.16	निजी भूमि
475	0.11	निजी भूमि	462	0.64	निजी भूमि
477	0.23	निजी भूमि	465	1.81	निजी भूमि
513	0.11	निजी भूमि	469	0.13	निजी भूमि
515	0.29	निजी भूमि	494/1	0.39	निजी भूमि
516	0.32	निजी भूमि	557	0.18	निजी भूमि
517	0.13	निजी भूमि	704	0.02	निजी भूमि
528	0.10	निजी भूमि	466	0.85	निजी भूमि
338	0.23	निजी भूमि	467	0.38	निजी भूमि
618/1	0.05	निजी भूमि	470/1	0.20	निजी भूमि
621/2	0.15	निजी भूमि	483/2/क	0.40	निजी भूमि
343	0.22	निजी भूमि	470/2	0.18	निजी भूमि
344	0.14	निजी भूमि	483/2/ख	0.80	निजी भूमि
345	0.24	निजी भूमि	478/2	0.70	निजी भूमि
346	0.13	निजी भूमि	481	0.12	निजी भूमि
347	0.33	निजी भूमि	482	0.02	निजी भूमि
348	0.16	निजी भूमि	489	0.25	निजी भूमि
349	0.11	निजी भूमि	490	0.16	निजी भूमि
350	0.15	निजी भूमि	491	0.10	निजी भूमि
351	0.29	निजी भूमि	492	0.11	निजी भूमि
352	0.17	निजी भूमि	493	0.24	निजी भूमि
684	0.30	निजी भूमि	512	0.26	निजी भूमि
399	0.12	निजी भूमि	494/2	0.16	निजी भूमि
400	0.14	निजी भूमि	499	0.20	निजी भूमि
404	0.02	निजी भूमि	497	0.87	निजी भूमि
406	0.12	निजी भूमि	556	0.04	निजी भूमि
407	0.12	निजी भूमि	500	0.10	निजी भूमि
415	0.21	निजी भूमि	502	0.04	निजी भूमि
416	0.14	निजी भूमि	503	0.06	निजी भूमि
677	0.04	निजी भूमि	504	0.03	निजी भूमि
418	0.19	निजी भूमि	526	0.29	निजी भूमि
419	1.03	निजी भूमि	527	0.32	निजी भूमि
422	0.48	निजी भूमि	758	0.15	निजी भूमि
443	0.18	निजी भूमि	759	0.02	निजी भूमि
446	0.05	निजी भूमि	514	0.10	निजी भूमि
455	1.30	निजी भूमि	519	0.56	निजी भूमि
456	1.20	निजी भूमि	520	0.33	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
518	0.14	निजी भूमि
529/1	0.25	निजी भूमि
672	0.24	निजी भूमि
674	0.06	निजी भूमि
675	0.45	निजी भूमि
533	0.45	निजी भूमि
534	0.24	निजी भूमि
535	0.48	निजी भूमि
536	0.07	निजी भूमि
537	0.17	निजी भूमि
554	0.46	निजी भूमि
538	0.04	निजी भूमि
540	0.03	निजी भूमि
546	0.02	निजी भूमि
539	0.38	निजी भूमि
550	0.06	निजी भूमि
660	0.06	निजी भूमि
661	0.14	निजी भूमि
662	0.18	निजी भूमि
663	0.26	निजी भूमि
664	0.30	निजी भूमि
665	0.24	निजी भूमि
669	0.28	निजी भूमि
670	0.40	निजी भूमि
676	0.50	निजी भूमि
678	0.99	निजी भूमि
703/1	0.60	निजी भूमि
542	0.10	निजी भूमि
544	0.12	निजी भूमि
545	0.23	निजी भूमि
547	0.19	निजी भूमि
548	0.10	निजी भूमि
549	0.18	निजी भूमि
560	0.14	निजी भूमि
617	0.08	निजी भूमि
618/2	0.05	निजी भूमि
658	0.16	निजी भूमि
659	0.23	निजी भूमि
666	0.20	निजी भूमि
667	0.19	निजी भूमि
668	0.27	निजी भूमि
671	0.42	निजी भूमि
681/2	2.00	निजी भूमि
703/2	0.05	निजी भूमि
763	0.25	निजी भूमि
764	0.40	निजी भूमि
767	0.04	निजी भूमि
775	0.21	निजी भूमि
योग ..	55.68	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बहादुरगंज तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्र. 03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—बड़ौनी
(ग) ग्राम—छता
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—1.17 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
845	0.09
847	0.03
848	0.11

(1)	(2)
849	0.01
852	0.02
850	0.06
851	0.02
886	0.03
887	0.02
888	0.05
936	0.06
921	0.04
922	0.02
1088	0.03
926	0.02
927	0.04
928	0.02
929	0.03
937	0.04
938	0.04
1057	0.07
1059	0.03
1058	0.05
1087	0.03
1193	0.01
1089	0.02
1090	0.04
1091	0.06
1092	0.05
1191	0.01
1192	0.02
योग . .	1.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना दायीं तट नहर (महुअर नदी तक) आर.बी.सी. की छता माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

पत्र क्र. 2428-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—बड़ागांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.497 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
निजी भूमि	
713	0.032
748	0.108
754	0.087
795	0.082
990	0.102
1141	0.032
1836	0.007
2438	0.023
3741	0.024
योग . .	0.497

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2430-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—शिवपुरवा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.066 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
81	0.003
84/1	0.063
योग . .	0.066

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2432-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—बुदामा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.188 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
6	0.007
10	0.100
11	0.012
31	0.069
योग . .	0.188

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2434-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—सहलोलवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.883 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
97	0.010
100	0.132
105	0.042
130	0.146
145/1	0.030
145/2	0.015
147	0.100

(1)	(2)
150	0.020
203	0.030
331	0.358
योग . .	0.883

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर उद्‌वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2436-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुरनैकिन
(ग) ग्राम—पटेहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.56 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
922	0.08
923	0.04
924	0.02
953	0.12
959	0.05
962	0.11
977/2	0.07
1230	0.01
1231	0.02
1232	0.04
1233	0.01
1253	0.03
1254	0.03
1255	0.02
1261	0.09
1273	0.05
1274	0.02
1275	0.03
1276	0.03
1277	0.02
1278	0.02
1279	0.02
1281	0.02
1282	0.02
1283	0.02
1284	0.02
1290	0.02
1291	0.02
1296	0.04
1297	0.02
1298	0.02
1300	0.02
1301	0.02
1396	0.03
1399	0.04
1400	0.02
1411	0.02
1416	0.03
1417	0.05
1418/1	0.01
1418/2	0.04
1420	0.04
1479	0.04
1480	0.02
योग (अ) . .	1.51
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण	
979	0.02
1272	0.03
योग (ब) . .	0.05
महायोग (अ+ब) . .	1.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की पटेहरा सब-माईनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-777-780-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अशोकनगर
(ख) तहसील—अशोकनगर
(ग) ग्राम—जुग्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.513 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
131/1	0.123
132/2	0.016
133	0.001
131/2	0.020
134	0.233
142/1क	0.035
142/1ख	0.032
141	0.032
144	0.540
222/2ग	0.065
222/1	0.162
223/2	0.324
218/2	0.162
218/4	0.149
218/1क	0.220
213/1क	0.084
214/3क	0.025
214/1	0.130
214/2	0.160
योग. .	2.513

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरखेड़ा छज्जू बांध की बायीं तट की नहर के निर्माण हेतु स्थायी अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-782-785-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अशोकनगर
(ख) तहसील—अशोकनगर
(ग) ग्राम—अनन्तपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.000 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
184/3	0.103
185 में	0.032
186/मिन-2	0.020

(1)	(2)
186/मिन-1	0.012
187/1क	0.014
188/1	0.032
187/1	0.007
187/1ख	0.007
187/2	0.014
176/2क	0.011
176/3	0.013
176/4	0.004
191	0.098
192/1	0.011
192/2	0.011
192/3	0.011
193	0.070
173/1	0.037
173/2	0.029
195/1क	0.054
137/2	0.112
137/1	0.123
136	0.143
134/2	0.032
योग. .	1.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरखेड़ा छज्जू बांध की बायीं तट की नहर के निर्माण हेतु स्थायी अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, अशोकनगर एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-787-790-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अशोकनगर

(ख) तहसील—अशोकनगर

(ग) ग्राम—जलालपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.965 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
212	0.066
211, 216	0.204
210/1	0.185
207/1	0.100
204/1	0.233
240/1 मिन 1	0.100
241/2	0.116
240/1 मि. 2	0.025
239 मिन 1	0.120
236/3	0.117
236/2	0.094
231/2	0.135
233	0.015
402/2	0.300
433 मिन 1	0.155
योग. .	1.965

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरखेड़ा छज्जू बांध की बायीं तट की नहर के निर्माण हेतु स्थायी अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, अशोकनगर एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-792-796-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अशोकनगर

(ख) तहसील—अशोकनगर

(ग) ग्राम—तूमेन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.261 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
93/1	0.148
91	0.300
84/1	0.200
84/2	0.065
83/3	0.019
83/2	0.048
85/3	0.065
85/1	0.065
85/2	0.085
85/4	0.045
85/5	0.068
75/2ख	0.200
72	0.045
29/1	0.029
19	0.150
27	0.162
14	0.226
13	0.001
5/3	0.050
12	0.090
8	0.120
7	0.016
5/4ख	0.134
2	0.081
297	0.013
357/2 मिन-2	0.214
312	0.166
317	0.010
295	0.087
356 1 मिन	0.020
355 1 मिंन	0.150
367	0.024
424	0.050
423	0.032
422	0.020
368	0.090
394	0.108
395	0.013
396	0.086
421/1	0.040
421/2	0.033
401	0.191
414	0.135
408	0.108
412	0.259
योग. .	4.261

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरखेड़ा छज्जू बांध की बायीं तट की नहर के निर्माण हेतु स्थायी अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग, अशोकनगर एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-797-800-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्द्वारायह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अशोकनगर

(ख) तहसील—अशोकनगर

(ग) ग्राम—मढ़ी तूमेन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.637 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
205	0.050
207	0.023
210	0.100
211/2	0.100
213/मिन 2	0.090
213/1 मिन	0.010

(1)	(2)
312	0.005
311	0.100
310	0.060
320	0.040
309/मिन 1	0.080
322	0.025
306/1	0.110
306/2	0.110
305	0.020
329/1क	0.001
306/3	0.140
329/2 ख मिन 1	0.015
329/1 ख मिन 2	0.004
300/2 मिन 1	0.237
330/1	0.125
299/1	0.100
286/3	0.050
288	0.020
295	0.150
294/3	0.038
83/5	0.050
85/2	0.022
86	0.022
93/1	0.076
90	0.076
89/1	0.010
101/1	0.015
106	0.065
105	0.086
104	0.101
59	0.111
53/1	0.015
53/2	0.015
52	0.060
89/2	0.005
91/1	0.015
49/1	0.050
49/2	0.040
योग. .	2.637

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरखेड़ा छज्जू बांध की बायीं तट की नहर के निर्माण हेतु स्थायी अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग, अशोकनगर एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्रनाथ शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13-मावन-465.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—गुना
(ख) तहसील—गुना
(ग) नगर/ग्राम—मावन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.627 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
228/1/5	0.209
228/1/6	0.209
228/1/7	0.209
योग :	0.627

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—स्पाइसेस बोर्ड ग्राम मावन बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय, अधिकारी (राजस्व) गुना तथा क्षेत्राधिकारी आफिसर इंचार्ज स्पाइसेस बोर्ड गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 12-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघर्रू मध्यम परियोजना की डूब क्षेत्र के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा
(ग) ग्राम—रहमानपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.506 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
191/1/1	0.127
191/1/2	0.106
186/1	0.273
कुल योग . .	0.506

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बघर्रू मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघर्रू मध्यम परियोजना की डूब क्षेत्र के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा
(ग) ग्राम—नयागांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—21.925 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
137/1	0.376
137/2	0.805
138/1	0.199
138/2	1.922
139	1.045
142/1	1.442
142/2/क	0.418
142/2/ख	1.672
142/3	3.710
142/4	0.732
144	1.296
146/2	0.115
146/3, 147	0.157
148/1	0.635
148/2	0.635
148/3	1.269
149/1	0.073
149/2	1.433
150/2	0.648
153	0.539
313	0.679
162	0.799
163	0.667
164/1	0.115
164/2	0.115
168/1	0.143
168/2/क	0.071
168/2/ख	0.073
168/3	0.142
कुल योग . .	21.925

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बघर्रू मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरूं मध्यम परियोजना की डूब क्षेत्र के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा
(ग) ग्राम—खिरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.182 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2, 3, 4, 5	1.839
9	0.042
10/1	0.401
10/2	0.366
12/1	0.731
12/2	0.732
13/1	0.491
13/2	0.492
14	0.251
15/2	0.851
16	0.262
17/2	0.909
24/2	0.350
15/1	0.852
17/1	0.909
18	0.105
21, 22	2.393
23	0.084
24/1	1.000
25	0.094
39/1	0.867
37	0.073
38	0.073
39/2	0.209
160	0.806
कुल योग . .	15.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बघरूं मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरूं मध्यम परियोजना की डूब क्षेत्र के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा
(ग) ग्राम—त्योंदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—52.640 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
760/1	0.827
760/2	0.802
751	0.337
749/1	1.359
749/3	0.432
970/1 क	0.096
970/1ख	0.165
970/1ग	0.515
970/1घ	0.374
970/2	0.500
974/1/1	0.627
974/1/3	0.627
974/1/2	0.627
974/1/4	0.752
974/2/2	0.230
974/2/1	0.836
975	0.800
976	2.515
977	0.158

(1)	(2)
990	0.362
991	1.568
992/2/1घ	0.304
992/2/2	0.539
992/2/3	1.000
993/1	0.506
992/1	0.596
993/2	0.210
955/1	0.423
955/2	0.020
956/1	0.300
956/2	0.200
956/3	0.200
957/1	0.099
957/2	0.098
957/3	0.098
957/4	0.098
957/5	0.098
959/1	0.340
959/2	0.835
959/3	0.340
960/1	1.182
961	0.188
960/2	0.072
962/1	0.081
962/2	0.075
962/3	0.091
963	0.010
964	0.052
966/2	1.375
821	0.073
822	0.021
823	0.230
824	0.209
825	0.105
826/1क	0.026
832/1क	0.340
826/1ख	0.026
832/1ख	0.339
826/2	0.125
827	0.052
832/2	0.230
828	0.428
833	0.439
834	0.105
874	0.752
885	0.177
887	0.700
890	0.418
891/2	0.480
891/1	0.147
892	0.679
893	0.288
895	1.944
405	0.136
407/2	0.141
400	0.012
394	0.058
408/1	0.021
408/2	0.021
410, 411	0.261
412/1	0.052
412/2	0.042
415	0.021
416	0.240
435/1	0.112
253	0.732
289/2	0.383
290/2	0.122
1184/3	0.645
1184/4	0.500
1184/5	0.440
1211/1	1.107
1211/2	1.108
1190/1/1	0.021
1190/1/2	0.397
1190/2	1.797
1190/3	1.986
1190/4ख	0.596
1188/1, 1189/1	1.045
1188/2, 1189/2	0.945
1193/2	2.100
1193/1	1.034
1193/3	1.158
1196/1	0.273
1196/2	0.981
1197/1	0.450
1197/2	0.679
1196/3	0.752
कुल योग . .	52.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बघरूँ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरूँ मध्यम परियोजना की डूब क्षेत्र के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा
(ग) ग्राम—सुमेरकासम
(घ) लगभग क्षेत्रफल—32.443 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
215/1	0.048
244	0.042
236/2	0.047
169/2	0.385
158	0.627
153	0.392
154	0.219
155	0.209
156	0.105
238	0.138
239	0.136
240	0.073
241	0.042
205	0.272
207	0.021
208	0.052
209	0.021
210	0.105
211	0.157
212	1.202
220	0.136
222	0.146
223	0.084
224	0.042
225	0.084
226	0.105
227/1, 227/2	0.115
228/1	0.026
228/2	0.026
229	0.084
232	0.010
233/1	0.094
233/2	0.094
247, 248	0.105
249	0.272
250	0.052
251	0.063
252/1	0.049
252/2	0.024
253/1/1	0.006
253/1/2	0.005
253/2	0.041
276	0.052
277/2	1.033
102/1	0.115
102/2	0.115
103/1	0.523
103/2	0.523
106/1	0.569
106/2	0.152
107/1	0.465
107/2	0.099
57	1.045
59	0.032
60/2/2	1.961
61	0.178
62	0.146
63	0.178
64	0.240
65/1/क	0.650
65/2/क	0.152
65/2/ख	0.627
65/2/ग	0.836

(1)	(2)
66/1	0.188
66/2	0.387
68	0.742
69	0.115
71	1.327
72, 73, 74, 75/1/1	0.886
75/1/2	0.484
75/2, 77, 78/2	2.091
76	0.397
78/1	0.115
79	0.544
80, 84	1.673
81	1.766
85/1	1.672
85/2	1.284
86/2	0.616
86/1	0.314
87/1	0.917
87/2	0.003
91	1.275
योग . .	32.443

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बघरूँ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17-A82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरूँ मध्यम परियोजना की डूब क्षेत्र के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा
(ग) ग्राम—पिपरिया दौलत
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.318 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/2	0.085
45/1	0.028
45/2	0.029
45/3	0.028
49/1	0.173
50/1	0.230
47	0.401
46/1	0.313
46/2	0.314
61/1/2	0.313
62/1	0.773
62/2/क	0.429
62/2/ख/2	0.152
64/1/1	0.034
64/1/2	0.068
64/1/3	0.034
64/2	0.136
64/3	0.125
66	0.094
72	0.136
73	0.094
74	0.094
75/2/1	0.131
75/2/2	0.094
75/3	0.262
86/1	0.094
86/2	0.105
87	0.094
88/1	0.146
88/2	0.136
89	0.105
90	0.105
91	0.136
93	0.314
95	0.073
96/1	0.136
97	0.243
213/1	0.554
214	0.256

(1)	(2)
120/2/2	0.349
124/2	0.65
125/2	0.084
126/2, 127/2	0.259
127/3	0.259
128/1	0.112
128/2	0.170
115	0.052
129	0.387
130	0.502
252/2	0.144
249/3	0.283
योग . .	10.318

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बघरूं मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 3 जनवरी 2014

क्र. 92-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—उज्जैन
(ग) ग्राम—जीवनखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.275 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
54/17 min	0.030
54/17 min 1	0.015
9/1/2/1	0.230
योग . .	0.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु जीवनखेडी तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.

(3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 94-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—खाचरौद
(ग) ग्राम—बेड़ावन्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.39 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
184	0.07
1160	0.06
1117/5	0.26
योग . .	0.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन-जावरा मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद, जिला उज्जैन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 99-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—खाचरौद
(ग) ग्राम—बिरियाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.33 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
396/3	0.06
408	0.10
424/2	0.03
422	0.08
445	0.06
योग . .	0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन-जावरा मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद, जिला उज्जैन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 100-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—उज्जैन
(ग) ग्राम—कस्बा उज्जैन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.809 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3302	0.030
3303/3	0.180
3306	0.560
3307/2	0.030
3205/1	0.010
3212/1 m.	0.250
3291/1/2 m.	0.145
3291/1/2/2 m.	0.145
3289	1.350
3288/2 m.	0.157
3288/1 m.	0.468
3331	0.080
3286/2	0.020
3286/3	0.280
3237	0.410
3234/4	0.523
3236	0.030
3234/3	0.030
3235/1	0.490
3233/1 m., 3233/1 m.	0.060
3204/1/1 m.	0.146
3204/1/1 m. 5	0.169
3212/1	0.400
3211	0.430
3198/2	0.030
3206/1	0.180
3199/1	0.130
3176, 3175	0.490
3193	0.150
3183	0.050
3178/1	0.470
3163/4	0.167
3164	0.650
3179	0.040
3158	0.650
3162	0.600
3182	0.040
3156/1	0.021
3157/1	0.044

(1)	(2)
3156/2	0.042
3157/2	0.050
3154/2	0.033
3152 m.	0.177
3152 m.	0.393
3088/1/2, 3089/3, 3090/2	0.050
499/2	0.320
505/2	0.005
505/1	0.005
502	0.060
500	0.020
3091/1, 3091/2	0.010
501/2	0.080
490	0.070
489/2	0.259
441/1	0.146
440	0.081
441/2, 441/4, 511, 512	0.223
510	0.430
488	0.018
431	0.290
418	0.350
404	0.210
411	0.060
405/2	0.080
406	0.090
405/1	0.087
400	0.350
401	0.020
3287	0.095
3303/1	0.050
3308/1	0.090
3303/2	0.210
3168	0.020
3165/1, 3166/1	0.100
3165/2, 3166/2	0.110
3191	0.020
योग . .	14.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम कस्बा उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.

(3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. 58-59-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—पाटनखुर्द एवं मुरारिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल —40.282 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम—पाटनखुर्द	
183/1	0.069
183/2	0.070
194/2	0.146
197/2	0.076
199/2	0.097
198	0.750
199/1	0.097
184/1	0.180
191/2	0.186
190/2	0.228
192/2	0.019
195/3	0.012
196/3	0.054
184/2	0.150
190/3	0.228
191/3	0.186
192/2	0.019
196/1	0.055
195/1	0.013
185	0.200
191/1	0.185
184/3	0.149
195/2	0.013
196/2	0.055
193	0.063

(1)	(2)
200/1/1	0.075
200/1/2	0.075
200/2	0.130
217	0.038
218	0.228
219	0.089
220	0.038
221/1	0.012
222/1	0.046
221/2	0.026
223/1	0.050
226/5	0.024
222/2	0.046
222/3	0.047
226/6	0.024
226/1	0.070
229	0.417
230	0.025
473/10	0.253
470/2	0.500
470/3	0.750
470/4	0.750
472/2	0.500
472/3	0.500
473/1	0.379
473/2	0.379
473/3	0.379
473/4	0.253
473/5	0.253
473/6	0.253
443/15	0.500
473/7	0.379
473/8	0.379
473/9	0.379
473/11	0.755
182 में से	6.425
189	0.400
194/1	0.145
197/1	0.076
227	1.250
228	0.190
190/1	0.227
475/4	0.202
223/2	0.051
226/3	0.024
223/3	0.050
226/4	0.024
223/4	0.051
226/2	0.024
225	0.126
473/12	0.755
473/13	0.500
473/14	0.990
473/16	0.500
475/1/1	0.076
475/2	0.930
475/3	1.170
योग . .	26.487

ग्राम—मुरारिया

193 में से	0.180
194/1 में से	0.759
194/2 में से	0.450
194/3	0.450
287/1	0.126
221	0.250
282 में से	0.465
286/1	0.100
286/2	0.100
286/3	0.100
287/2/1	1.998
301 में से	1.050
287/2/2/1	0.666
287/2/2/2	0.664
287/2/2/3	0.666
288/1 में से	0.820
289/1	0.848
289/3	0.390
289/2/1	0.316
289/2/2	0.317
289/4	0.630
290/1	0.600
290/2	0.110
291/2	0.100
291/1 में से	0.110
293/1	0.100
293/2	0.100
294 में से	0.020
295/4	0.050
296	0.180
297 में से	0.540
299/1	0.100
299/2	0.100
300	0.340
योग . .	13.795
कुल योग . .	40.282

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—पाटनखुर्द तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैयाराजा टी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 5-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील—उदयपुरा

(ग) ग्राम—केवलारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.754 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	कुल रकबा (एकड़ में) (2)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (3)
63/1/1	1.30	0.040
63/2/1	1.70	
64/1	7.50	0.162
66	1.89	0.125
137/1	6.00	0.243
138	11.98	0.206
139/2	3.31	0.081
139/3	3.31	0.081
139/1	9.32	0.202
140/2	4.11	0.105
148/1	5.44	0.121
140/3/2	4.00	
एवं	एवं	0.178
140/3/1	1.00	
148/2	5.00	0.121
154/1	2.97	0.150
170/1	9.46	0.259
170/2	9.46	0.186
170/3/1	5.03	
एवं	एवं	0.170
170/3/2	4.46	
172/1/2	1.08	
एवं	एवं	0.081
172/1/1	2.14	
172/2/1	0.07	
एवं	एवं	0.061
172/2/2	2.15	
172/3	3.22	0.061
174/1/1/1/1	1.37	
एवं	एवं	0.121
174/1/1/1/2	1.36	
	कुल योग . .	2.754

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

क्र. 7878-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—उज्जैन

(ग) ग्राम—पाण्याखेडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.751 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
150/3/1	0.005

(1)	(2)
152/1	0.018
156/1	0.069
167, 168, 169/238, 167/239, 169	0.430
170/मीन-2	0.380
174/3 व 4	0.320
228/4	0.160
228/5	0.180
173/6/1	0.045
228/3	0.050
173/1, 173/4,173/5	0.094
कुल योग . .	1.751

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन शहर में एम.आर.-5 मार्ग पर रेलवे समपार क्रमांक 29-ए उज्जैन भोपाल रेलखंड कि.मी. 57/38-40 पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

उज्जैन, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. 112-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—उज्जैन
(ग) ग्राम—मंगरोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.050 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
845	0.050
योग . .	0.050

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु मंगरोला तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.

(3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 13 जनवरी 2014

प्र. क्र. 13-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—
(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—जामिनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.596 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
374/1	0.520
375/2	0.307
376/1	0.480
377/1	0.180
209/2	0.060
209/1	0.060
210	0.670
208/2	0.032
208/3	0.032
192/2	0.070
203	0.05
184/1/1	0.030

(1)	(2)
182/1	0.050
182/2	0.060
182/4	0.050
179/4	0.060
179/5	0.230
179/6	0.060
159/1	0.060
321/1	0.070
321/2	0.073
395/1	0.392
कुल योग . .	3.596

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—
(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—बबचिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.059 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
69	0.440
73/4	0.350
73/2	0.150
73/3	0.150
72/1	0.100
72/2	0.190
74	0.150
376	0.309
374	0.020
395/1	0.200
कुल योग . .	2.059

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—
(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—रजोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.127 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
573/1	0.100
573/2	0.100

(1)	(2)
574/1/1/1	0.586
577	0.341
कुल योग . .	1.127

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—तोफाखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.200 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
76/2	0.090
101/2	0.020
76/4	0.090
कुल योग . .	0.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—शमशाबाद

(ग) ग्राम—सतपाड़ा हाट

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.755 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
220/1	0.105
622/2/1क	0.090
622/2/2ख	0.075
3/2	0.125
3/3	0.135
72	0.225
कुल योग . .	0.755

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्र. A-4828-दो-2-71-2013.—श्री राकेश कुमार गुप्त, रजिस्ट्रार (एडमिनीस्ट्रेशन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करनें की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A-4830-दो-2-67-2013.—श्री नवीन कुमार सक्सेना, रजिस्ट्रार (ज्युडिशीयल-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

क्र. A-4853-दो-2-58-2013.—श्री अनुपम श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A-4860-दो-2-54-2013.—श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A-4862-दो-2-15-2012.—श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को दिनांक 18 से 21 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-4864-दो-2-53-2007.—श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 26 से 28 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-4866-दो-2-36-2008.—श्री आर. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा को दिनांक 4 से 11 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12, 13, 14, 15 एवं 16 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-7564-दो-2-71-2009.—श्री एच. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-7567-दो-2-50-13.—श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-7573-दो-2-44-2012.—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 26 से 29 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-7587-दो-2-65-11.—श्री जे. पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-7589-दो-2-25-2013.—श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 18 से 19 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-7591-दो-2-21-2005.—श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 7 से 13 दिसम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्र. D-7700-दो-2-109-06.—श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. A-4910-तीन-10-42-75-(देवास-कन्नौद).—उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक ई/3271/तीन-10-42/75 (देवास-कन्नौद), दिनांक 2 अगस्त 2011 जहां तक कि उसका संबंध श्री भरत सिंह ओहरिया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागली की श्रृंखला न्यायालय, कन्नौद से है, को एतद्द्वारा आगामी आदेश तक निरस्त किया जाता है.

No. A-4910-III-10-42-75-(Dewas-Kanod).—High Court Notification No. E/3271/III-10-42/75 (Dewas-Kannod), dated 2nd August 2011, so far as it relates to holding of Link Court of Shri Bharat Singh Ouhariya, Additional District & Sessions Judge Baglli to Kannod is hereby cancelled till further order.

क्र. A-4912-तीन-10-42-75-(देवास-खातेगांव).—मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री शिवबदन वर्मा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास अपने घोषित कार्यस्थल देवास के अतिरिक्त खातेगांव में भी प्रत्येक माह 15 दिवस बैठक करेंगे.

No. A-4912-III-10-42-75-(Dewas-Khategaon).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Cout Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Shivbadan Verma, IInd Additional Distirct & Session Judge, Dewas in addition to his place of siting declared at Dewas shall also sit at Khategaon for 15 days in each month.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बिपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार. (डी.ई.)

जबलपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. 1388-गोपनीय-2013-दो-3-100-2013.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश श्रीमती ऋतुश्री उईके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इन्दौर के न्यायालय के पंचम् अतिरिक्त न्यायाधीश, इन्दौर (प्रशिक्षु जज) का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन "श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता" पत्नी श्री विशाल गुप्ता करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 17, 20 दिसम्बर 2013

क्र. 1380-गोपनीय-2013-II-2-36-2007.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश श्रम न्यायिक सेवा भर्ती नियम,2006 के उप नियम 5 (ii) के तहत उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 1 (ए) 13-2013-ए-सोलह-भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2013 द्वारा सदस्य न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), औद्योगिक न्यायालय के पद पर अस्थायी तौर पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किये जाने के फलस्वरूप निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती किरण बाला पाठक, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रीवा.	रीवा	रीवा	रीवा	पदोन्नति पर, सदस्य न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), औद्योगिक न्यायालय, रीवा के पद पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

क्र. 316-स्था.सैट-2013.—श्री देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (सैट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) जबलपुर को दिनांक 24 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश अवधि में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (सैट) को वेतन भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

(3) उक्त अवकाश से लौटने पर श्री देवेश चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

रजिस्ट्रार महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.